झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)विविध–36 / 2013 .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री शशि प्रसाद, कनीय अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल कुलडंगाल शिविर नाला, जामताड़ा के पदस्थापन काल में घोर अनियमितता,कदाचार एवं अनुशासनहीनता बरतने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक– 7504 दिनांक– 12.12.2013 द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं०– 7518 दिनांक– 13.12.2013 द्वारा उनके विरूद्ध असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–55 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. श्री प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किया गया :–

(i) दिनांक– 28.02.2005 से दिनांक– 08.07.2013 तक स्वेच्छापूर्वक कर्त्तव्य से अनुपस्थित।

(ii) फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

(iii) स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति को नियमित कराने का गलत तरीके से प्रयास करना।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन आरोप सं०–(i) एवं (iii) प्रमाणित पाये गये। जिसकी गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई।

4. सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री शशि प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता को दोषी पाया गया जिसके लिए झारखण्ड सेवा संहिता के नियम– 76 के आलोक में इन्हें सेवा से मुक्त किये जाने का दण्ड प्रस्तावित करते हुए इनसे विभागीय पत्रांक– 4900 दिनांक– 12.11.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

5. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है, बल्कि पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान में उल्लेखित तथ्य को ही दोहराया गया है।

6. सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–76 के आलोक में श्री शशि प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल कुलडंगाल शिविर नाला, जामताड़ा (सम्प्रति निलंबित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची निर्धारित) को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) सेवा से विमुक्ति

(ii) निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

एतद् द्वारा उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह० / –

अभियंता प्रमुख–I
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

P.T.O

ज्ञापांक : 5487 / राँची, दिनांक 21/12/18

प्रतिलिपि : महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जामताड़ा / कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल, कुलडंगाल, शिविर–नाला / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, राँची / श्री शशि प्रसाद, कनीय अभियंता (निलंबित), पिता–स्व० दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा, लोअर हिनू, शुक्ला कॉलोनी, पो०–हिनू, थाना–डोरण्डा, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–I
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।